UPSR010004622026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

क्रिमिनल रिवीजन सं०–16/2026

रीतिका उर्फ **दीपिका** उम्र लगभग 31 वर्ष पत्नी रघुवीर उर्फ राहुल, पुत्री हरीश चन्द्र गुप्ता, निवासी मो० केशवनगर (पूरेखैरी), थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. **रघुवीर** उर्फ **राहुल** उम्र लगभग 32 वर्ष
2. **दिनेश** उम्र लगभग 40 वर्ष
3. **राजेश** उम्र लगभग 38 वर्ष
4. **रोहित** उम्र लगभग 35 वर्ष
5. **मुन्ना** उम्र लगभग 25 वर्ष

पुत्रगण सुरेश, निवासीगण कुन्डासार, थाना पखरपुर, जनपद श्रावस्ती।

6. **सुरेश** उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र जमुना प्रसाद
7. **वन्दना** उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी दिनेश
8. **बवीना** सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष पत्नी सुरेश
9. **चाँदनी** उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी रोहित

निवासीगण कुन्डासर थाना पखरपुर जनपद श्रावस्ती

10. **सरकार** उ०प्र० द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल

.....विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता रीतिका उर्फ दीपिका द्वारा प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या 735/2025 रीतिका उर्फ दीपिका गुप्ता बनाम रघुबीर उर्फ राहुल के मामले में मुख्य दाण्डिक अधिकारी, जनपद श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.08.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

2– दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:– पुनरीक्षणगर्ता/निगरानीकर्ता का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 29.04.2025 को रेस्पान्डेन्ट सं० 1 रघुबीर उर्फ राहुल के साथ हुआ था। प्रार्थिनी के माता पिता ने अपने हैसियत

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.16 16:01:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के अनुसार दान स्वरूप दहेज के रूप में लगभग पाँच लाख रुपये का सामान तथा बर्तन कपड़ा फर्नीचर इलेक्ट्रानिक्स का सामान तथा नगदी लगभग दो लाख रुपये आदि रेस्पान्डेन्ट्स सं० 1 ता 9 को दिया था। जो रेस्पान्डेन्ट्स के पास है। विवाह के पश्चात तुरन्त ही प्रार्थिनी से अपाचे मोटरसाइकिल व 10 ग्राम सोने की चेन के लिए उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी सूचना प्रार्थिनी ने अपने परिवार वालों को दी थी। उसके परिवार वालों की तरफ से रेस्पान्डेन्ट्स को समझाने बुझाने का भी प्रयास किया गया परन्तु उन लोगों ने बात नहीं मानी और प्रार्थिनी को जलाने का प्रयास किया। दिनांक 17.06.2025 को उसके ससुराल वालों ने प्रार्थिनी को उसके घर पे प्रताड़ित करते हुए छोड़ दिया और मांग रखी कि जब तक उनको दहेज नहीं मिल जाएगा तब तक वे पार्थिनी को नहीं ले जाएंगे। इस घटना की सूचना प्रार्थिनी ने महिला थाना श्रावस्ती में दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। तत्पश्चात प्रार्थिनी ने जरिये डाक दिनांक 08.07.2025 S.P. श्रावस्ती को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर पीड़िता ने अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०, सी०जे०एम० न्यायालय श्रावस्ती पर दिनांक 09.07.2025 को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको न्यायालय द्वारा परिवाद में परिवर्तित कर दिया गया।

3– निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह आधार लिया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 विधि विरुद्ध है। उक्त आदेश को पारित करने में अवर न्यायालय ने कानूनी और वाक्याती गलती की है। अवर न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से, सरसरी तौर से तथा मनगढंत तरीके से आदेश पारित किया गया है जबकि अपराध संज्ञेय था। न्यायालय को चाहिए कि वह प्रार्थिनी को मियाद की छूट देकर उसका रिवीजन स्वीकारते हुए एस०एच०ओ० भिनगा को आदेशित करें कि प्रार्थिनी की तहरीर के मुताबिक उसका मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय में पारित आदेश दिनांकित 18.08.2025 निरस्त कर पुनः विधिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4– सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में लिये गये आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 173(4) दण्ड प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया है अतः आदेश दिनांकित 18.08.2025 दोषपूर्ण है। तदनुसार वर्तमान दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने की मांग की गयी है।

5– विपक्षी सं० 10 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश 18.08.2025 पूर्णतया विधिसम्मत है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व रिपोर्ट इत्यादि के अनुक्रम में पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6– दाण्डिक निगरानी के मामले में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध, अशुद्ध अथवा अनुचित तो नहीं है।

7– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि *"प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) B.N.S.S आवेदिका रितिका उर्फ दीपिका गुप्ता की ओर से विपक्षीगण रघुवीर उर्फ राहुल व अन्य के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर संक्षेपतः यह कथन किया गया है कि आवेदिका की शादी विपक्षी सं० 1 रघुवीर उर्फ राहुल के साथ दिनांक 29.04.2025 को हुयी थी। आवेदिका की विदायी शादी में हो गयी थी। आवेदिका के पिता ने पाँच लाख रुपये का सामान व नकदी दिया था। आवेदिका को विदायी के दूसरे दिन से ही विपक्षीगण एक अपाची मोटरसाइकिल व दस ग्राम सोने की चैन न देने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 17.6.2025 को सभी विपक्षीगण आवेदिका को गाड़ी पर जबर्दस्ती बिठाकर उसके मायके लाये और दरवाजे पर उतारकर उसके माँ–बाप व भाइयों से कहा कि तुम अपनी लड़की पकड़ो जब तक सोने की चैन 10 ग्राम का व अपाची मोटरसाइकिल नहीं दे दोगे तब तक इसका गुजारा हमारे यहाँ नहीं हैं। आवेदिका व उसके मा–बाप व भाइयों के बोलने पर भद्दी–भद्दी गालियाँ दी, लात व मुक्का थप्पड़ से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। हल्ला गोहार विपक्षीगण आइन्दा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा मुकदमा कुज मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।*

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदिका की ओर से स्वयं का शपथ पत्र तथा फेहरिस्त से पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदन पत्र में वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होने का उल्लेख किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) B.N.S.S मजिस्ट्रेट की अन्वेषण हेतु आदेश की शक्ति के सम्बन्ध में प्रावधानित करती है। विधि अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–173(4) B.N.S.S को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है। प्रस्तुत मामले में घटना से सम्बन्धित समस्त तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है, जिन्हें वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष साबित करने में सक्षम है। विधिक प्रास्थिति के अनुसार धारा 173(4) B.N.S.S के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने हेतु बाध्य नहीं है। इस सन्दर्भ में ***रामबाबू गुप्ता प्रति उ०प्र० राज्य 2001 ए०सी०सी० एवं प्रियंका श्रीवास्तव प्रति***

उ०प्र० राज्य 2015 एस०सी०सी० *में दी गयी विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय के अभिमत में प्रस्तुत मामले की जांच स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।*

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत होने योग्य है।"

8– निगरानी में लिये गये आधार व प्रस्तुत तर्कों के आलोक में अवर न्यायालय की पत्रावली का आवलोकन किया गया।

9– स्वीकृत रूप से निगरानी में लिए गए आधार एवं तर्क के दौरान यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में निगरानीकर्ता का विवाह विपक्षी सं० 1 से हुआ था और वैवाहिक सम्बन्ध मधुर नहीं थे तथा दान दहेज की बात को लेकर निगरानीकर्ता को तथाकथित रूप से प्रताड़ित किया जाता था। प्रकरण के समस्त तथ्य निगरानीकर्ता के जानकारी में है जिसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराया जाना आवश्यक नहीं है और निगरानीकर्ता न्यायालय के समक्ष परिवाद की कार्यवाही में उपस्थित होकर समस्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराया जाना विधि अनुसार आवश्यक नहीं है और मजिस्ट्रेट न्यायालय यदि संतुष्ट हो तो विधि अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं०/173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

10– ऐसी स्थिति में यह न्यायालय विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2025 पूर्णतया विधिसम्मत् है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है। तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी आधारहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/निगरानीकर्ता **रितिका** उर्फ **दीपिका** की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 16/2026 निरस्त की जाती है।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 16.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक 16.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती